3/11/16. पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष हैं। वास्ते जवाब प्रारंभिक दिनांक 01/12/16 को पेश हो।

1/12/16. पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादी द्वारा आदेश Order 22 Rule 4 CPC बाबत प्रतिवादी नं. 3 मृतक के वारिसान पूर्व में ही बाद में प्रतिवादी नं. 2 बनाया हुआ है इसका कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। प्रारंभिक स्वीकार करने में सहमत हैं अतः प्रतिवादी नं. 1 के बाद के तादात में selete किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 15/12/16 को पेश हो।

15/12/16 पत्रावली BO फिलहाल 2-2-17 को पेश हो।

2-2-17 BO फिलहाल 2-3-17 को पेश हो।

7 BO फिलहाल 13/4/17 को पेश हो।

/7/17 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। वास्ते बहस फिलहाल 4-5-17 को पेश हो।

5/7/17 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। वास्ते बहस फिलहाल 15/7/17 को पेश हो।

15/7/17 पत्रावली पेश हुई। श्रीलखमी मजदूर सहकारी संघ बनाम उच्चन्यायालय राजस्थान कई बार अवकाश लेने के पश्चात पत्रावली अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner